भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या- *200
सोमवार, 05 अगस्त, 2024/14 श्रावण, 1946 (शक)

उच्च नियोज्य कौशलयुक्त युवा

***200. श्री पुट्टा महेश कुमार:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश में भारत में उच्च नियोज्य कौशलयुक्त युवाओं की सर्वाधिक संख्या है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने के लिए विगत पांच वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं/पहलों का ब्यौरा क्या है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में कोई लक्ष्य निर्धारित किए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) विगत पांच वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश में "उच्च नियोज्य कौशलयुक्त युवाओं" के रूप में अभिज्ञात व्यक्तियों की कुल संख्या का ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार की योजनाओं/पहलों से लाभान्वित युवाओं की संख्या कितनी है?

उत्तर
श्रम और रोजगार मंत्री
(डॉ मनसुख मंडाविया)

(क) एवं (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

*

"उच्च नियोज्य कौशलयुक्त युवा" के संबंध में श्री पुट्टा महेश कुमार द्वारा दिनांक 05-08-2024 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *200 के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (घ): नवीनतम वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों में उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार, आंध्र प्रदेश राज्य में वर्ष 2017-18 से वर्ष 2022-23 के दौरान सामान्य स्थिति पर 15-29 वर्ष की आयु के युवाओं के लिए रोजगार दर्शाते हुए अनुमानित श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) और कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) और श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) नीचे दी गई है:

(%) में

वर्ष	**एलएफपीआर**	**डब्ल्यूपीआर**
2018-19	45.0	36.5
2019-20	47.4	39.3
2020-21	47.5	40.2
2021-22	47.9	40.6
2022-23	48.2	40.7

स्रोत: पीएलएफएस

उपरोक्त आंकड़ें दर्शाते हैं कि आंध्र प्रदेश राज्य में पिछले कुछ वर्षों में एलएफपीआर और डब्ल्यूपीआर (यानी रोजगार) में वृद्धि की प्रवृत्ति है।

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, भारत सरकार ने देश में रोजगार सृजन करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय/विभाग जैसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय आदि देश में विभिन्न रोजगार सृजन योजनाएँ/कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहे हैं।

पिछले पाँच वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्व-रोजगार एवं प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) से कुल 69.22 लाख लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं।

इसके साथ-साथ, भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न अन्य रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों को https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने बजट 2024-25 में 2 लाख करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ 5 वर्ष की अवधि में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा के लिए 5 योजनाओं और अवसरों की प्रधान मंत्री पैकेज की घोषणा की है।

*****